न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 58 / 2018
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 / 53 आरटीए

1. कृष्णराम
2. औमप्रकाश

पि. बीरबलराम जाति बावरी निवासीण नुकेरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादीगण

बनाम

1. बीरबलराम पुत्र श्री चिमनाराम
2. कलावन्ती
3. बगतावरी देवी
4. बालूदेवी
5. मेवादेवी
6. सुगना

पुत्रीया बीरबलराम

जाति बावरी निवासीगण नुकेरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

7. तहसीलदारा राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग अधिवक्ता वादीगण
2. श्री कैलाश सिंवल अधिवक्ता प्रतिवादी सख्या 1 ता 6

निर्णय दिनांक :— 29.07.2019

वादीगण अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणात्मक हक व खाता तकसीम का इस न्यायालय में पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं. 5 केएसडी के खाता संख्या 43 / 30 जमाबन्दी सम्वत 2070—73 में 1.518 हैक्टेयर व चक 3 केएसडी के खाता संख्या 62 / 46 जमबान्दी सम्वत 2070—73 में 2.480 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की विरास्तन कृषि भूमि है जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। समस्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है। चक 5 केएसडी खाता संख्या 43 / 30 पं.नं. 157 / 127 मु.नं. 58 किला नं. 16,17, 22 ता 25 / 0.253 है.प्रे. कुल 1.518 है. नहरी एवं चक 3 केएसडी के खाता संख्या 62 / 46 पं.नं. 158 / 128 मु.नं. 40 किला नं. 2,3 / 0.228 है.प्रे. किला नं. 8,9,12,1318,19,22 / 0.253 है.प्रे. 23 / 0.202 है.कुल 2.480 है0 मय गैर मुमकिन नहरी। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि हमारी जद्दी जायदाद है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 6 का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 6 ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है अब प्रतिवादी संख्या 2 व 6 अपना हक व हिस्सा नहीं रखना चाहती है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारा में वादीगण को वाद पत्र की चरण

संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण उक्त घरू विभाजन अनुसार ही काश्त करता चला आ रहा है। कब्जा बाबत कोई विवाद नहीं है। इसी अनुसार वादीगण घोषित करवा अपना खाता अलग से कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है वादी संख्या 1 कृष्ण कुमार के हिस्सा में आई कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकर से है चक 5 केएसडी खाता संख्या 43/30 पं.नं. 157/127 मु.नं. 58 किला नं. 16, 25/0.253 है.प्रे. 24/0.227 है.कुल 0.733 है. नहरी एवं चक 3 केएसडी के खाता संख्या 62/46 पं.नं. 158/128 मु.नं. 40 किला नं. 2/0.228 है0. किला नं. ,9,12,19,22/0.253 है.प्रे. कुल 1.240 है0 मय गैर मुमकिन नहरी कुल दोनो चको कि 1.973 है. तथा वादी संख्या 2 औमप्रकाश के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि का विवरण चक 5 केएसडी खाता संख्या 43/30 पं.नं. 157/127 मु.नं. 58 किला नं. 17,22,23/0.253 है.प्रे. 24/0.026 है. कुल 0.785 है. नहरी एवं चक 3 केएसडी के खाता संख्या 62/46 पं.नं. 158/128 मु.नं. 40 किला नं. 3/0.228 है.प्रे. किला नं. 8,13,18/0.253 है. प्रे. 23/0.202 है. कुल 1.189 है0 मय गैर मुमकिन नहरी दोनो चको की कुल 1.974 है. प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारा में अन्य कृषि भूमि व चल अचल सम्पतियां प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 7 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इससे किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादीगण ने पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वाद पत्र की चरण संख्या 6 के अनुसार वादीगण को खातदेार काश्तकार होना मान लेवे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तो प्रतिवादीगण वादीगण के इस न्यायचित निवेदन पर पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु अन्त में स्पष्ट् इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया,तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। दिनांक 23.05.2018 को वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपना राजीनामा पेश किया जिसके साथ अपनी आईडी की स्वहस्ताक्षरित चित्र प्रति पेश की है पैरोकार राज की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वदीगण ने फार्म नं. 3 के साथ सरपंच ग्राम पंचायत नुकेरा से जारी बीरबलराम के वारिसान तस्दीक प्रमाण पत्र मय पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 2 आईडीजी के इन्तकाल की प्रमाणित पेश की है जिसमें वादपत्र में वर्णित रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता चिमनाराम की मृत्यु होने के उपरान्त वारिसान के नाम से दर्ज हुई। वादपत्र में दर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में आराजी दर्ज है वह इन्हे विरास्तन मिली है। इन्तकाल की प्रति शामिल मिसल की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई । वकील वादीगण/प्रतिवादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। तथा पैतृक सम्पति से वाद वादीगण साबित है एवं वादीगण के वाद को मुताबिक राजीनामा मय प्रस्तुत पैतृक सम्पति के दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता चिमनाराम के नाम से जमाबन्दी में दर्ज थी जिनकी मृत्यु होने के उपरान्त विरास्तन रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के नाम से दर्ज हुई है। प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण के बहिब दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है।

पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी सहमति के जवाब दावा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि वादी संख्या 1 कृष्ण कुमार को चक 5 केएसडी खाता संख्या 43/30 पं.नं. 157/127 मु.नं. 58 किला नं. 16, 25/0.253 है.प्रे. 24/0.227 है.कुल 0.733 है. नहरी एवं चक 3 केएसडी के खाता संख्या 62/46 पं.नं. 158/128 मु.नं. 40 किला नं. 2/0.228 है0. किला नं. ,9,12,19,22/0.253 है.प्रे.कुल 1.240 है0 मय गैर मुमकिन नहरी कुल दोनो चको कि 1.973 है. तथा वादी संख्या 2 औमप्रकाश को चक 5 केएसडी खाता संख्या 43/30 पं.नं. 157/127 मु.नं. 58 किला नं. 17,22,23/0.253 है.प्रे. 24/0.026 है. कुल 0.785 है. नहरी एवं चक 3 केएसडी के खाता संख्या 62/46 पं.नं. 158/128 मु.नं. 40 किला नं. 3/0.228 है.प्रे. किला नं. 8,13,18/0.253 है.प्रे. 23/0.202 है. कुल 1.189 है0 मय गैर मुमकिन नहरी दोनो चको की कुल 1.974 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 कानाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–58 / 2018

1 कृष्णराम
2 औमप्रकाश
पि. बीरबलराम जाति बावरी निवासीण नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादीगण

बनाम

1 बीरबलराम पुत्र श्री चिमनाराम
2 कलावन्ती
3 बगतावरी देवी
4 बालूदेवी
5 मेवादेवी
पुत्रीया बीरबलराम
जाति बावरी निवासीगण नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6 सुगना
7 तहसीलदारा राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कैलाश सिंवल वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी संख्या 1 कृष्ण कुमार को चक 5 केएसडी खाता संख्या 43 / 30 पं.नं. 157 / 127 मु.नं. 58 किला नं. 16, 25 / 0.253 है.प्रे. 24 / 0.227 है.कुल 0.733 है. नहरी एवं चक 3 केएसडी के खाता संख्या 62 / 46 पं.नं. 158 / 128 मु.नं. 40 किला नं. 2 / 0.228 है0. किला नं. ,9,12,19,22 / 0.253 है.प्रे.कुल 1.240 है0 मय गैर मुमकिन नहरी कुल दोनो चको कि 1.973 है. भूमि का खातेदार काश्तकार तथा वादी संख्या 2 औमप्रकाश को चक 5 केएसडी खाता संख्या 43 / 30 पं.नं. 157 / 127 मु.नं. 58 किला नं. 17,22,23 / 0.253 है.प्रे. 24 / 0.026 है. कुल 0.785 है. नहरी एवं चक 3 केएसडी के खाता संख्या 62 / 46 पं.नं. 158 / 128 मु.नं. 40 किला नं. 3 / 0.228 है.प्रे. किला नं. 8,13,18 / 0.253 है.प्रे. 23 / 0.202 है. कुल 1.189 है0 मय गैर मुमकिन नहरी दोनो चको की कुल 1.974 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम से अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.07.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया